

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 7(2)राज/वाद/18 पार्ट

जयपुर, दिनांक 07-9-18

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड-II, संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/-प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से निम्न अभ्यर्थियों को एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. स.	मेरिट न0	रोल न0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	476	605554	श्री शुभम कुमार	श्री फूलचन्द	08.09.95	बीसी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़।
2	3115	882121	श्री कालू राम कोठारी	श्री नाथू लाल कोठारी	01.03.95	बीसी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 1 केकडी, जिला अजमेर।
3	5391	582538	श्री राजेश कुमार	श्री लख्मीचन्द	05.03.88	एससी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 2 हनुमानगढ़।
4	5622	635275	श्री मुकेश कुमार	श्री सागर मल	06.04.91	एससी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 2 सीकर।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या-965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह मे पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. परिवीक्षाकाल अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी. /रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13 (1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।
3. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची-4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L-5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 14600/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।


0719

4. दो वर्ष की परीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड-II) के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी /डीडीबीसी /सान्याअवि/2011 /68999 -69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
7. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 17 की अनुसूची-4 के नियम 16, नोट क्रमांक-4 के अनुसार प्रति वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
9. परीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
10. परीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
11. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें, कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।


07/17

15. संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात् नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी।
16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक(लिपिक ग्रेड-11) पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
17. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/-रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
18. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
19. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
20. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

sd
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 26.06.18 एवं 18.07.2018 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर।
6. संबंधित अपर लोक अभियोजकगण।
7. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी।
9. लेखाधिकारी विधि (वादकरण) विभाग।
10. संबंधित अभ्यर्थी.....।
- ✓ 11. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

07/11/18
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण